न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/77/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/284

अपीलार्थी
श्री लीलाराम सैनी पुत्र श्री हीरालाल सैनी,
नि0 ग्राम व पोस्ट–बर्डोद, तहसील–बहरोड,
जिला–अलवर (राज)–301020

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 21.06.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 26.07.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 27.04.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अभियोजन संबंधी सम्पूर्ण पत्रावली की प्रति, उक्त पत्रावली के संबंध में स्वयं द्वारा प्रेषित अभ्यावेदन की सत्य प्रतिलिपि एवं A.C.B. द्वारा प्रेषित अभियोजन स्वीकृति/प्रारूप/रिपोर्ट की सत्य प्रति आदि 01 लगायत 03 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त सूचना आवेदन पर किसी प्रकार के विनिश्चय/सूचना से अपीलार्थी को अवगत नहीं कराए जाने के कारण इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. 1620–21 दिनांकः 29.06.22 के माध्यम से पूर्व प्रेषित सूचना–पत्र सं. 1273 दिनांकः 30.5.22 की प्रति (09 पृष्ठीय) पुनः अपीलार्थी को भिजवाते हुए जवाब के साथ इस न्यायालय को पृष्ठाकित की गई है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् व अपील में उठाये गये तथ्यों का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 27.04.22 के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है।
8. अस्तु, उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
9. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 26.07.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)